न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 23/2016

तारीख दायरा–08.02.2016

तारीख निर्णय–27.06.2019

1. श्री राम सिंह पिता सोहन सिंह राजपूत निवासी पुनावली तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर ।

........वादी

बनाम

1. श्री नाथु सिंह पिता तेजा खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
2. श्री हमेर सिंह पिता तेजा खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
3. श्री जवान सिंह पिता तेजा खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
4. श्री जोत सिंह पिता तेजा खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
5. श्री लाडु पिता पना खरवड खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
6. श्री कना पिता मोडा तेजा खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
7. श्री जेता पिता मोडा तेजा खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
8. श्री पदम सिंह पिता धुला खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
9. श्री भंवर सिंह पिता धुला खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

10. श्री पृथ्वी सिंह पिता धुला खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
11. श्री चतर सिंह पिता धुला खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
12. श्री चेन सिंह पिता अम्बाव सिंह खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
13. श्री कालु सिंह पिता अम्बाव सिंह खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
14. श्री राज सिंह पिता गेगा खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
15. श्री मोहन सिंह पिता गेगा खरवड निवासी परथा जी की भागल ग्राम ढोल तहसील गोगुन्दा।
16. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा उमरोद पटवार हल्का ढोल तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 205 में वर्णित आराजियात किता 48 कुल रकबा 4.0400 है0 भूमि एवं खाता संख्या 202 में वर्णित आराजियात किता 3 कुल रकबा 0.1750 है0 भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु रेकर्ड में विधिवत बंटवाड़ा नही होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन पाली डोली को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के विभाजन में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से संस्थित किया जा रहा है। प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे है। इसलिये वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराये जाने की प्रारम्भिक डिक्री पारित फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावें। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रकरण को केम्प कोर्ट में लिया जाकर वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने में कोई आपत्ती नही होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा उमरोद पटवार क्षेत्र ढोल की आराजी नम्बर 1937 रकबा 0.2000, 1938 रकबा 0.1100, 1939 रकबा 0.0500 किता 3 कुल रकबा 0.3600 है0 भूमि का तेजा, कना, जेता पिता मोडा खरवड को, आराजी नम्बर 1940 रकबा 0.0350, 1941 रकबा 0.2100, 2021 रकबा 0.0550, 1965 रकबा 0.1500, 1966 रकबा 0.0200, 2003 रकबा 0.1350, 2005 रकबा 0.1000 किता 7 कुल रकबा 0.7050 है0 भूमि का लाडु पिता पना खरवड को, आराजी नम्बर 1942 रकबा 0.0700, 1948 रकबा 0.0400, 1951 रकबा 0.0900, 1982 रकबा 0.0600, 2006 रकबा 0.1000 किता 5 कुल रकबा 0.3600 है0 भूमि का अंबावसिंह, पदमसिंह, भंवरसिंह, पृथ्वीसिंह, चतरसिंह पिता धुला खरवड को, आराजी नम्बर 1936 रकबा 0.0350, 1943 रकबा 0.1100, 1944 रकबा 0.1400, 1945 रकबा 0.0350, 1949 रकबा 0.0900, 1946 रकबा 0.1000, 2008 रकबा 0.1900, 1996

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

कबा 0.1500, 2009 रकबा 0.0300, 1997 रकबा 0.0100, 2010 रकबा 0.0200, 1998 रकबा 0.0800, 2011 रकबा 0.0300, 1999 रकबा 0.0250, 2012 रकबा 0.0650, 2000 रकबा 0.0800, 2016 रकबा 0.0700, 2017 रकबा 0.1000, 2018 रकबा 0.1200, 1983 रकबा 0.0300, 2002 रकबा 0.1000, 2004 रकबा 0.1200, 2013 रकबा 0.0500, 2014 रकबा 0.0800, 2022 रकबा 0.0750, 2023 रकबा 0.0200, 2024 रकबा 0.0200, 2029 रकबा 0.0350 किता 28 कुल रकबा 2.0100 है0 भूमि का राजसिंह, मोहनसिंह पिता गेंगा खरवड को, आराजी नम्बर 1947 रकबा 0.0700, 1964 रकबा 0.1900, 2019 रकबा 0. 1200, 2001 रकबा 0.2500, 2007 रकबा 0.0750 किता 5 कुल रकबा 0.7050 है0 भूमि का रामसिंह पिता सोहनसिंह राजपुत को, आराजी नम्बर 2020 रकबा 0.0500, 2025 रकबा 0.0700 किता 2 कुल रकबा 0.1200 है0 भूमि का डालसिंह पिता दौलतसिंह राजपुत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 2015 रकबा 0. 0200 है0 भूमि खातेदारान के संयुक्त खातेदारी में रखी जाती है। एतद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/19

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.10 12:54:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: